

Witness No. . . . 01 . . . . for - अनावेदक - . . . Deposition taken

the - 14-05-2026 - day of . गुरुवार . . . . Witness, s apparent age . 32. वर्ष

States on affirmation शपथपूर्वक my name - केशव सिंह राठौर -

S/ of - श्री धनीराम राठौर- occupation - विधि अधिकारी -

address - मेग्मा जनरल इंश्योरेस लि. रायपुर, जिला रायपुर छ.ग. -

(नोट - साक्ष्यांकन प्रारंभ होने का समय 12.32 बजे )

### -मुख्य परीक्षण द्वारा सुश्री उमा राव अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र.3 -

1. मैं मार्च 2026 से विधि अधिकारी के पद पर मेग्मा जनरल इंश्योरेस लि. रायपुर में पदस्थ हूँ ।
2. हमारी बीमा कंपनी के द्वारा वाहन न्यू सोल्ड होण्डा सीडी ड्रिल्क्स जिसका इंजन नंबर जेसी 89 ईजी 0062043 एवं चेचिस नंबर एमई 4 जेसी 892 जेएलजी 032284 का बीमा पॉलिसी क्रमांक P0021500014/4113/112276 के अनुसार राकेश कुमार सतनामी के नाम से वाहन क्षति हेतु दिनांक 16.02.21 से 15.02.22 की मध्य रात्रि तक के अवधि के लिए एवं तृतीय पक्ष क्षति हेतु दिनांक 16.02.21 से 15.02.26 की मध्य रात्रि तक के अवधि के लिए मोटरयान अधिनियम एवं बीमा पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अंतर्गत बीमा किया गया है, बीमा पॉलिसी के सत्यापित प्रति प्र.डी. 01 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।
3. प्र.डी. 01 के ब से ब भाग पर उल्लेखित शर्त अनुसार दुर्घटना के समय बिमित वाहन के चालक के पास बिमित वाहन का चालन करने हेतु वैध एवं प्रभावी वाहन चालन अनुज्ञाप्ति पत्र होना आवश्यक है अन्यथा बीमा पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के अंतर्गत आता है । प्रकरण में प्रस्तुत प्र.पी. 01 अंतिम प्रतिवेदन के अ से अ भाग पर दुर्घटना के समय वाहन चालन के पास वाहन चालन अनुज्ञाप्ति पत्र नहीं होने से वाहन चालक आशीष कुमार भारद्वाज एवं वाहन स्वामी राकेश कुमार के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा अधिरोपित किया गया है तथा दुर्घटना के समय वाहन चालन आशीष कुमार भारद्वाज की उम्र 17 वर्ष होकर नाबालिक होने से माननीय किशोर न्यायालय जांजगीर चांपा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

4. दुर्घटना के समय वाहन चालक आशीष कुमार नाबालिक होने से एवं दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वाहन चालन अनुज्ञप्ति पत्र नहीं होने से एवं वाहन स्वामी बीमा धारक के द्वारा ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने दिया, जिसके पास वाहन चालन अनुज्ञप्ति पत्र नहीं था। बीमा पॉलिसी प्र.डी. 01 के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन होने के कारण बीमा कंपनी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है।

**– प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सुखीराम साहू अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण**

5. यह कहना सही है कि प्र.डी. 01 एक वर्ष के लिए पैकेज पॉलिसी है। यह कहना सही है कि पैकेज पॉलिसी में वाहन क्षति तथा तृतीय पक्ष की जोखिम कवर है। यह कहना सही है कि दिनांक 21.12.2023 को प्र.डी. 01 की बीमा पॉलिसी में तृतीय पक्ष का जोखिम कवर है। साक्षी स्वतः कहता है कि प्र.डी. 01 की बीमा पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अधीन कवर है।

6. यह कहना सही है कि मृतक भोगसिंह बघेल बीमित वाहन क्रमांक सी.जी.12 बी.डी. 4813 के लिए तृतीय पक्ष के श्रेणी में आते हैं। यह कहना गलत है कि आज मैं बीमा कंपनी को दायित्व से बचाने के लिए झूठा कथन कर रहा हूँ।

**(नोट – साक्ष्यांकन समाप्त होने का समय 12.54 बजे )**

गवाह का कथन कम्प्यूटर स्क्रीन उसे दिखाते हुए  
टंकित किया गया, सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/ –

(मोना चौहान)

द्वादश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण  
बिलासपुर छ.ग.

सही/ –

(मोना चौहान)

द्वादश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण  
बिलासपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर/अ.नि.